जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर, जिला– चूरू (राजस्थान)

दिनांक :–..../...../2021

मै./श्री.....

.....

.....

.....

.....

निविदा शुल्क रसीद संख्या :– .....

दिनांक :– .....

राशि रू. :–.....

विषय :– सत्र 2020–21 के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने हेतु।

संदर्भ :– दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/राष्ट्रदूत में दिनांक 16.01.2021 को प्रकाशित निविदा सूचना क्रमांक प. 2–1/निविदा/जनविसश/2020–21/ दिनांक 15.01.2021 के कम में ।

उपर्युक्त संदर्भ अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर, जिला–चूरू में सत्र 2020–21 के लिए विद्यार्थियों के उपयोग हेतु निम्नलिखित वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए अधिकृत/प्रतिष्ठित व अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवादाताओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

विद्यालय द्वारा सत्र 2020–21 के लिये आवश्यकतानुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित फर्मों एवं अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निम्नलिखित निविदायें आमन्त्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र एवं शर्तें कार्यालय समय में दिनांक 16.01.2021 से 04.02.2021 तक दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है तथा भरी हुई निविदायें दिनांक 04.02.2021 को सांय 04.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा दिनांक 05.02.2021 को प्रातः 10.00 बजे विद्यालय कार्यालय में कय सलाहकार समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

क्र0 सं0	वस्तु एवं कार्य का नाम	अनुमानित राशि वार्षिक	धरोहर राशि	सुरक्षा राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	मैस राशन	25.00 लाख वार्षिक	25000.00	अनुमानित वार्षिक क्रय का 10 प्रतिशत	200.00
2	दैनिक उपयोग सामग्री–तेल, साबुन, टूथपेस्ट, धोने का साबुन आदि	05.00 लाख वार्षिक	5000.00		200.00
3	जूते एवं चप्पल	02.00 लाख वार्षिक	5000.00		200.00
4	दवाईयां	00.60 लाख वार्षिक	1000.00		200.00
5	विद्युत एवं नल फिटिंग सामग्री	01.00 लाख वार्षिक	2000.00		200.00
6	भवन निर्माण सामग्री	01.00 लाख वार्षिक	2000.00		200.00
7	पंखा एवं कूलर मरम्मत कार्य	01.00 लाख वार्षिक	1000.00		200.00
8	यूनिफॉर्म धुलाई एवं प्रेस कार्य	01.00 लाख वार्षिक	5000.00		200.00
9	कैन्टीन (टक शॉप मय पीसीओ)	00.50 लाख वार्षिक	5000.00		200.00
10	मैस लेबर आपूर्ति ।	04.00 लाख वार्षिक	5000.00		200.00
11	किराये पर वाहन की आपूर्ति विद्यार्थियों के भ्रमण हेतु ।	01.00 लाख वार्षिक	10000.00		200.00
12	फर्नीचर	01.00 लाख वार्षिक	10,000.00		200.00

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
सरदारशहर, जिला– चूरू

प्राचार्य/Principal
ज.न.वि./J.N.V.
सरदार शहर जिला चूरू (राज.)
Sardar Shahar, Distt. Churu (Raj.)

धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा का विवरण एवं शर्त सहमति पत्र

.....सामग्री आपूर्ति/कार्य हेतु निविदा

निविदा शुल्क :–

01. निविदा शुल्क रूपये .....डिमाण्ड डाफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर, जिला–चूरू के नाम से जारी भारतीय स्टेट बैंक, मैन मार्केट, शाखा–सरदारशहर पर देय संलग्न है ।

02. रसीद संख्या .....दिनांक ..... के द्वारा निर्धारित निविदा शुल्क राशि रू. .....कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करवाकर मैंनें निविदा प्रपत्र प्राप्त किया/किये है ।

धरोहर राशि :–

03. धरोहर राशि रूपये .....डिमाण्ड डाफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर, जिला–चूरू के नाम से जारी भारतीय स्टेट बैंक, मैन मार्केट, शाखा–सरदारशहर पर देय संलग्न है ।

निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त संख्या 01 से 30 तक का मैंने/हमने सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समस्त शर्तें मुझे/हमें मान्य है। विशेषरूप से शर्त संख्या 13 का अवलोकन कर समझ लिया है जिसके लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर उपर्युक्त जमा धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार निविदाकर्ता को होगा।

फर्म की निम्न सूचनायें निविदादाता द्वारा आवश्यक रूप से भरी जावे :–

1. फर्म का नाम :– .....
2. बैंक का नाम एवं शाखा :– .....
3. बैंक खाता संख्या :– .....
4. आईएफएससी कोड संख्या :– .....
5. पैन नम्बर :– .....

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

निविदादाता का नाम .....

पूर्ण पता.....

.....

फोन/मोबाइल नं. .....

फर्म की मोहर .....

दिनांक :– .....

स्थान :– .....

जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर, जिला–चूरू (राजस्थान)
निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें 2020–21

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर जिला–चूरू की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति हेतु सत्र 2020–21 के लिये मुहरबन्द निविदायें दिनांक 04.02.2021, दोपहर 01:00 बजे तक विक्रय कर, दिनांक 04.02.2021 को सांयः 04.00 बजे तक जमा की जा सकेगी ।
2. निविदा के लिफाफे पर, जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर "फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा" 2020–21 स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है।
3. निविदाएं प्राचार्य जनवि, सरदारशहर के कार्यालय में दिनांक 05.02.2021 को प्रातः 10:00 बजे खोली जायेंगी।
4. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फार्म की शर्तों, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को प्रपत्र की शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे।
5. निविदा में अंकित की गयी दरें समस्त करों जैसे जीएसटी कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों सहित एफ. ओ. आर. जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर, जिला–चूरू (राजस्थान) होनी चाहिए।
6. निविदा फार्म साफ–सुथरे ढ़ंग से भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट–छांट यथासंभव नहीं करें। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना अतिआवश्यक है तो उसे साफ–साफ तरीके से करते हुए परिवर्तन करें तथा किये गए परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें, परन्तु किसी भी दशा में ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकते हैं।
8. निविदा में स्वीकृत दरें दिनांक 30/06/2021 तक के लिए मान्य होगी जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबंध हो जाता है जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा।
9. निविदा के साथ जमा करायी जाने वाली धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सरदारशहर, जिला–चूरू (राज.) के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, मैन मार्केट, शाखा–सरदारशहर (शाखा कोड 31140) पर देय होगा। जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। यदि निविदादाता धरोहर राशि के भुगतान में छूट चाहता है तो वह संबंधित सरकारी आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेगा जिसके अंतर्गत संबंधित फर्म धरोहर राशि जमा कराने की छूट हेतु पात्रता रखती है।
10. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती है तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करें।
11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी उन्हें कुल अनुमानित क्रय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। इस सुरक्षा राशि में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि समायोजित कर दी जाएगी तथा शेष राशि उन्हें निश्चित अवधि 15 दिवस के अन्दर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा ।
12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबंध समाप्ति की तिथि से कुल छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जावेगी। यदि निविदा अनुबंध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती हैं तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि से की जायेगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त कर दी जायेगी।
13. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है को आदेश देने की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। यदि अनुमोदित निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रहता है तो 07 दिन तक की देरी के लिए रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से पैनल्टी देनी होगी उसके उपरान्त आपूर्ति न करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर ले या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूरा करवा ले। इस संबंध में अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता की सुरक्षित जमा राशि से की जायेगी। यदि इस संबंध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा।
14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी स्कीम या गिफ्ट सामान दिया जा रहा है तो उस पर क्रेता (विद्यालय) का अधिकार होगा, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा।
15. निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है जिसे निविदा जारीकर्त्ता/प्राचार्य द्वारा आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
16. निविदादाता को प्रिन्टेड एम.आर.पी एवं अनुमोदित दर दोनों में से जो भी कम हो का भुगतान किया जाऐगा।
17. प्रिन्टेड एम.आर.पी.(MRP) में जब–जब परिवर्तन होगा तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो बढ़ी हुई एम.आर.पी.(MRP) का सत्यापन कमेटी के माध्यम से खुले बाजार से करावें और यदि सप्लायर फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी एम.आर.पी.(MRP) दर में कोई अंतर पाया जाता है तो प्राचार्य निविदा करार को निरस्त कर सामग्री अन्यत्र स्थान से आपूर्ति कराकर हानि की भरपाई सप्लायर से करवा सकता है तथा उसके द्वारा जमा करायी गयी सुरक्षा राशि को जब्त कर सकता है।
18. निविदा फार्म में जिस सामग्री के लिए नमूना मांगा गया है के संबंध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ में लायेंगे। यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मशीन हैं उस दशा में निविदादाता मशीन का स्थापन अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार करेगा तथा उसके संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निःशुल्क प्रशिक्षण भी देगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

(इस पेज पर भी निविदादाता अपने हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें)

प्राचार्य

लगातार पेज 2 पर

15.01.21

प्राचार्य/ Principal
ज.न.वि./ J.N.V.
सरदार शहर जिला चूरू (राज.)
Sardar Shahar, Distt. Churu (Raj.)

19. आपूर्ति की गई सामग्री की जाँच अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदेश के अनुसार/विनिर्देशन के अनुसार नहीं पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। निविदादाता स्वयं के खर्चे पर आपूर्ति की गई सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जाएगा।
20. ऐसी सामग्री जैसे कपड़ा, स्टेशनरी, जूता, चप्पल जिसकी गुणवत्ता की जाँच किसी सरकारी लैब में करवायी जानी है, इस प्रकार की जाँच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। जाँच ऐजेन्सी का चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा।
21. निविदा उन्हीं फर्मों की स्वीकार की जाएगी जो उस विशिष्ट सामग्री का व्यापार करती हों तथा उसके निमित्त फर्म को उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करनी है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण–पत्र व वैट नम्बर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार हेतु पंजीकृत है।
22. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके। किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट, लीक, सड़क दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होंगे और उस हानि की भरपाई उन्हीं के द्वारा की जायेगी। अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
23. आपूर्तिकर्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. इत्यादि पर होने वाले व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
24. विवादास्पद आईटमों के मामले में भुगतान की गई राशि रोकी जा सकती है और विवादास्पद आईटमों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कमेटी सदस्यजिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता फर्म का भी होगा, की आपसी सहमति के निर्णय अनुसार होगा।
25. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटि एवं मात्रा एवं टेण्डर की शर्तें आदि जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। इन्हें प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता है। यदि उसे इन शर्तों या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करें तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
26. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा।
27. इन सामान्य शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची तथा विशिष्ट सामग्री अनुसार शर्तों का विवरण इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है।
28. ऐसी सामग्री जिसके निमित्त नमूना भी मांगा गया है निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुगतान की जायेगी तथा नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगे। नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। नमूना किसी भी दशा में निविदादाता को वापस नहीं दिया जायेगा।
29. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सरदारशहर, जिला – चूरू (राजस्थान) होगा।

30. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे :–

अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर व टैन नम्बर की सत्यापित प्रतिलिपि।
ब. निर्धारित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक ।
स. उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टिकरण तथा छपा हुआ सूची पत्र व अन्य लिखित सामग्री
द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कंपनियों द्वारा अनुमोदित/अधिकृत वितरक का प्रमाण पत्र।
य. जहां लागू हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
र. फर्म के बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पेज या बैंक खाते के स्टेटमेन्ट की छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें ।

15-01-21

प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
सरदारशहर, जिला – चूरू
पिन – 331403 (राज.)

Principal
J.N.V.
सरदार शहर जिला चूरू (राज.)
Sardar Shahar, Distt. Churu (Raj.)

दिनांक :.....

इस निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त संख्या 01 से 30 तक का मैंने/हमने सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समस्त शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं। विशेषरूप से शर्त संख्या 13 का अवलोकर कर समझ लिया है जिसके लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....
निविदादाता का नाम .....
पूर्ण पता.....
.....
फोन/मोबाइल नं. .....
फर्म की मोहर .....

दिनांक :– .....
स्थान :– .....

(7)

जवाहर नवोदय विद्यालय, सरदारशहर, जिला – चूरू (राजस्थान)

सत्र 2020-21 हेतु पंखा कूलर मरम्मत कार्य के लिये निविदा प्रपत्र (वैधता 30.06.2021 तक)

क0सं0	सामग्री एवं कार्य का नाम	रिपेयरिंग कार्य की दरें
1	सिलिंग फेन वाईन्डिंग (वाईडिंग की दरें पुराने तार को घटाते हुये देवें) रिपेयरिंग कार्य की अवधि ..... वर्ष/माह तक मेरी गारन्टी होगी ।	
2	सिलिंग फेन बैरिंग 6201 नम्बर के	
3	सिलिंग फेन बैरिंग 6202 नम्बर के	
4	सिलिंग फेन बैरिंग 6203 नम्बर के	
5	सिलिंग फेन लगाने वाली पाईप (डंडी) स्टेण्डर्ड माप	
6	कन्डेन्सर 2.5 एमएफडी के	
7	कन्डेन्सर 3.15 एमएफडी के	
8	कन्डेन्सर 4.15 एमएफडी के	
9	सिलिंग फेन बुश हटाकर बैरिंग फिट करना	
10	सिलिंग फेन बुश	
11	सिलिंग फेन कैप (सैट)	
12	सिलिंग फेन ब्लैड सैट (तीन नग)	
13	वॉल फेन रिपेयरिंग	
14	वॉल फेन रिवांईडिंग	

शर्तें :–

1. विद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार रिपेयर कार्य करवाया जावेगा । रिपेयर हेतु पंखा ले जाते समय उसे जांच कर उसका पुर्वानुमान बिल सामग्री के विवरण सहित देना होगा ।
2. रिपेयर कार्य की गारन्टी अवधि का भी निविदादाता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेख करना अति आवश्यक है ।
3. कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में ही भुगतान रेखांकित चैक के माध्यम से किया जाना संभव हो सकेगा ।
4. निविदादाता द्वारा जिस नाम से निविदा भरी जा रही है उसी नाम से किसी भी बैंक में खाता होना अति आवश्यक है ।
5. पंखे विद्यालय स्टोर से गिनकर लेकर लेजाने होंगें तथा मरम्मत पश्चात विद्यालय में ही गिनवाने होंगें । गारन्टी अवधि में खराब होने की स्थिति में मरम्मत कार्य तुरन्त करना होगा एवं उतारने एवं ले जाने की जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी ।
6. उपरोक्त दरें 30.06.2021 तक मान्य होगी ।
7. आपकी जमा धरोहर राशि का अंतिम पूरा भुगतान कार्य अवधि 06 माह पश्चात बिना ब्याज किया जायेगा ।

मैंने निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों एवं नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं ।

दिनांक :- .....

निविदादाता के हस्ताक्षर ----------

निविदादाता का नाम _____

पूर्ण पता _____

_____

फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर _____

_____

फर्म की मुहर ----------

संलग्नक -

डिमाण्ड ड्राफ्ट नं.....

दिनांक.....

राशि रू0 .....